

कार्यालय-वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।

पत्रांक- 168 /33-1, दिनांक गोण्डा, जुलाई 18 /2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:-

जनपद गोण्डा में एच०पी०सी०एल० गोरखपुर द्वारा बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग (एस०एच०-30) के कि०मी०-57 के मध्य दायी पटरी पर गाटा सं०-58 ग्राम मुंडेरवाकला तहसील व जिला गोण्डा उ०प्र० में प्रस्तावित एच०पी०सी०एल० द्वारा रिटेल आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Approach/144332/2021)

संदर्भ:-

प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा का पत्रांक-150/33-1, दिनांक 14.07.2022

महोदय,

उपरोक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के पत्रांक-150/33-1, दिनांक 14.07.2022 द्वारा अवगत कराया कि जनपद गोण्डा में एच०पी०सी०एल० गोरखपुर द्वारा बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग (एस०एच०-30) के कि०मी०-57 के मध्य दायी पटरी पर गाटा सं०-58 ग्राम मुंडेरवाकला तहसील व जिला गोण्डा उ०प्र० में प्रस्तावित एच०पी०सी०एल० द्वारा रिटेल आउटलेट स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में आनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Approach/144332/2021, 04 प्रतियों में भेजा गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भाग-3 में टिप्पणी अंकित कर प्रस्ताव आनलाईन कर दिया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव 03 प्रतियों सी०डी० व पैनड्राइव सहित मूल में संलग्न कर आपकी सेवा में सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-प्रस्ताव 03 प्रतियों सी०डी० सहित मूल में।

भवदीय,

(डा० अनिरुद्ध पाण्डेय)

वन संरक्षक,

देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।

पत्रांक- 168 /अ उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि:-प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा उनके पत्रांक-150/33-1, दिनांक 14.07.2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डा० अनिरुद्ध पाण्डेय)

वन संरक्षक,

देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।

भाग-iii

(संबन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका नहीं
 संबन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि
 हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रक्षेपों को,
 निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना सहमत
 और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।

16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन अनहित में काम
 संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें। आवश्यक है अतः
संस्तुति की जाती है।

दिनांक-

स्थान-

हस्ताक्षर

नाम- (डा० अनिल कुमार)

सरकारी मोहर वन संरक्षक
संरक्षण कृत गोण्डा